भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1627
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है
दुर्घटनाओं के कारण

1627. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने देश में कार दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;
(ख) यदि हां, तो अध्ययन में पहचान किए गए प्रमुख कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वाहन चलाते समय उनींदापन अथवा थकान की समस्या को कार दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में पहचाना गया है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान चालकों के उनींदापन/थकान के कारण राज्य-वार कितनी मौतें दर्ज की गई हैं;
(घ) क्या सरकार थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी चालक उनींदापन चेतावनी प्रणाली अथवा अन्य प्रौद्योगिकीय तंत्र पर कार्य कर रही है;
(ङ) यदि हां, तो ऐसी प्रणालियों के विकास की वर्तमान स्थिति, प्रचालनात्मक योजना और इसे शुरू करने की समय-सीमा क्या है; और
(च) क्या सरकार की वाहनों में, विशेषकर वाणिज्यिक परिवहन के लिए चालकों के लिए उनींदापन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" प्रकाशित करता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं जिसमें तेज़ गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना/शराब और नशीली दवाओं का सेवन करना, गलत साइड/लेन में गाड़ी चलाना, अनुशासनहीनता, लाल बत्ती पार करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि शामिल है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 78% सड़क दुर्घटनाएं चालक की गलती के कारण हुईं।

वर्ष 2022 के लिए 'भारत में सड़क दुर्घटना' शीर्षक वार्षिक प्रकाशन में कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 तक देश में वाहनों/वस्तुओं के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत कारों, टैक्सियों, वैन और हल्के मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या का राज्य वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। मोटर वाहन (ऑटोमोटिव) उद्योग मानक समिति (एआईएससी) के तकनीकी पैनल ने श्रेणी एम (श्रेणी एम का अर्थ है कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन), एन2 (श्रेणी एन2 का तात्पर्य है माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन और जिसका सकल वाहन भार 3.5 टन से अधिक लेकिन 12 टन से अधिक नहीं है) और एन3 (श्रेणी एन3 का तात्पर्य है माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन और जिसका सकल वाहन भार 12 टन से अधिक है) के मोटर वाहनों के लिए चालक उनींदापन और सचेतक चेतावनी प्रणाली पर एच-11016/10/2024-आरएस I/4053878/2024 मानक तैयार करने का कार्य शुरू किया है।

अनुबंध

"दुर्घटनाओं के कारण" के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1627 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 के लिए टक्कर मारने वाले वाहनों/वस्तुओं के प्रकार के अनुसार कारों, टैक्सियों, वैन और हल्के मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मौतों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022		2021		2020		2019		2018	
		सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए लोग	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए लोग	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए लोग	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए लोग	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए लोग
1	**आंध्र प्रदेश**	2576	841	2116	596	1913	580	2399	703	5073	1179
2	**अरुणाचल प्रदेश**	58	32	97	53	37	17	59	27	53	49
3	**असम**	1253	371	1301	455	1307	399	1429	528	1665	594
4	**बिहार**	765	556	752	504	667	347	1332	932	1487	1014
5	**छत्तीसगढ**	1865	363	1606	336	1383	305	1965	413	2411	569
6	**गोवा**	1054	28	953	17	620	15	1063	16	1366	78
7	**गुजरात**	2422	1045	2250	939	2193	869	3349	1381	5004	1809
8	**हरियाणा**	1512	617	1338	563	1371	674	1346	589	3103	1330
9	**हिमाचल प्रदेश**	932	408	932	471	878	409	1137	469	1424	538
10	**झारखंड**	713	475	742	510	524	323	642	497	715	465
11	**कर्नाटक**	6787	1536	5594	1351	6678	1533	7870	1735	10227	2096
12	**केरल**	15341	306	12031	220	9501	217	13354	365	12412	1049
13	**मध्य प्रदेश**	7893	1794	6938	1668	6402	1523	8237	1631	10549	2014
14	**महाराष्ट्र**	5045	2221	4178	1689	3273	1576	5306	2029	7591	2450
15	**मणिपुर**	88	18	50	16	75	20	177	32	229	36
16	**मेघालय**	70	44	66	55	61	31	62	31	71	36
17	**मिजोरम**	28	17	29	25	16	14	8	4	18	14
18	**नागालैंड**	193	19	373	18	251	24	138	8	151	19
19	**ओडिशा**	1542	625	1429	535	1071	414	1539	661	1922	791
20	**पंजाब**	1488	1163	1618	1296	1150	909	1180	774	1571	1167
21	**राजस्थान**	5304	2221	5264	2091	4798	2180	8088	3078	7265	3027
22	**सिक्किम**	91	45	77	17	48	18	38	8	134	73
23	**तमिलनाडु**	3963	1051	3395	935	5113	931	15748	2620	17478	3068
24	**तेलंगाना**	3057	588	2906	604	2733	658	4849	782	5400	1127
25	**त्रिपुरा**	57	16	73	29	82	23	105	32	181	54
26	**उत्तराखंड**	491	278	149	55	56	13	128	70	423	315
27	**उत्तर प्रदेश**	6562	3536	6022	3452	5375	2971	6873	3729	7732	3992
28	**पश्चिम बंगाल**	1674	504	1400	678	1374	609	680	257	3198	1127
29	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	15	2	22	1	21	1	22	0	87	4

30	**चंडीगढ़**	29	0	33	6	26	3	39	3	194	40
31	**दादरा एवं नगर हवेली**	20	6	15	2	11	6	6	2	13	5
32	**दमन और दीव**							13	4	22	5
33	**दिल्ली**	308	50	254	66	215	53	910	233	1717	354
34	**जम्मू और कश्मीर**	1870	202	1799	200	1703	192	2004	246	2214	284
35	**लद्दाख**	220	33	138	34	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
36	**लक्षद्वीप**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**पुदुचेरी**	45	3	50	1	60	16	101	11	390	39
कुल		**75331**	**21014**	**65990**	**19488**	**60986**	**17873**	**92196**	**23900**	**113490**	**30811**

टिप्पणी :

1. दमन और दीव का आंकड़ा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है
2. एनए: उपलब्ध नहीं
3. कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के लिए तमिलनाडु के श्रेणीवार आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है।

*****